

राजस्थान विधान सभा

दशम् सत्र

कार्य-सूची

सोमवार, दिनांक 18 मार्च, 2013

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

- (I) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री राव राजेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा, प्रदेश के परमाणु विद्युत केन्द्रों से पर्यावरण एवं जनजीवन पर पड़ रहे दुष्प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (II) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री कालीचरण सराफ, सदस्य, विधान सभा, राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित स्किल डवलपमेंट योजनान्तर्गत प्रशिक्षण में कथित अनियमितताओं के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

वार्षिक प्रतिवेदन

- 1- श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (राज्य वित्त) (वर्ष 2012 का प्रतिवेदन संख्या-1) सदन की मेज पर रखेंगे।
- 2- श्री परसादीलाल मीणा, सहकारिता मंत्री, निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे :-
 - I- जल अधिनियम, 1974 की धारा-39(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011; एवं
 - II- राजस्थान राज्य जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा-21(3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012.

4. याचिकाओं का उपस्थापन

- 1- डॉ. गोपाल जोशी, सदस्य, विधान सभा, बीकानेर में स्वीकृत ड्राईपोर्ट गोचर भूमि में नहीं बनाकर अन्य राजकीय भूमि पर बनाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।
- 2- श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य, विधान सभा, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-
 - I- विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय रोपा एवं पारोली को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने बाबत; एवं
 - II- जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व वाली नागदी नदी में गत कई वर्षों से वर्षा के अभाव में कंटीली झाड़ियों एवं गंदगी के कारण हो रहे जल प्रदूषण से मुक्त करवाने बाबत।

जारी..2..

5. विधायी कार्य

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(1) राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013

- (I) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 12 नवम्बर, 2012 को प्रख्यापित राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां, (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक-12) को अस्वीकार करता है।"
- राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 2012 के संबंध में परिनियत संकल्प
- (II) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
"निजी विश्वविद्यालयों की विधियों को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"
- राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्या-1)

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(2) जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2013

- (I) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 2013 को प्रख्यापित जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-2) को अस्वीकार करता है।"
- जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) अध्यादेश, 2013 के संबंध में परिनियत संकल्प
- (II) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
"जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 1962 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"
- जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्या-5)

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(3) वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2013

- (I) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 2013 को प्रख्यापित वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-4) को अस्वीकार करता है।"
- (II) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
"वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 1987 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"
- (III) (संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)
प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।
- वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा(संशोधन) अध्यादेश, 2013 के संबंध में परिनियत संकल्प
- वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा(संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्या-6)

(4) राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

- (I) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 2013 को प्रख्यापित राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-5) को अस्वीकार करता है।"
- (II) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
"राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, 1946 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"
- (III) (संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)
प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।
- राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश,2013 के संबंध में परिनियत संकल्प
- राजस्थान विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्या-7)

(5) महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

- (I) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा निम्नांकित परिणियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 2013 को प्रख्यापित महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय(संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-3) को अस्वीकार करता है।"
- महर्षि दयानन्द सरस्वती
विश्वविद्यालय (संशोधन)
अध्यादेश, 2013 के संबंध में
परिणियत संकल्प
- (II) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
"महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"
- महर्षि दयानन्द सरस्वती
विश्वविद्यालय(संशोधन)
विधेयक, 2013
(2013 का विधेयक संख्या-8)
- (संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)
(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(6) राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2013

- (I) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा निम्नांकित परिणियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 को प्रख्यापित राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक-13) को अस्वीकार करता है।"
- राजस्थान विश्वविद्यालयों के
अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति
के लिये चयन) (संशोधन) अध्यादेश,
2012 के संबंध में परिणियत
संकल्प
- (II) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
"राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) अधिनियम, 1974 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"
- राजस्थान विश्वविद्यालयों के
अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति
के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक,
2013 (2013 का विधेयक संख्या-9)
- (संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)
(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(7) मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

- (I) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा
निम्नांकित परिणियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक
16 जनवरी, 2013 को प्रख्यापित मोहनलाल
सुखाडिया विश्वविद्यालय(संशोधन) अध्यादेश,
2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-1) को
अस्वीकार करता है।"
- मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय
(संशोधन) अध्यादेश,2013 के संबंध
में परिणियत संकल्प
- (II) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि
निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
"मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय
अधिनियम,1962 को और संशोधित करने के लिये
विधेयक।"
- मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय
(संशोधन) विधेयक, 2013
(2013 का विधेयक संख्या-10)
- (संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)
(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को
पारित किया जाय।

6. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-2014

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा :-

<u>क्र.सं.</u>	<u>मांग संख्या</u>
1.	37- कृषि
2.	39- पशुपालन एवं चिकित्सा

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे)

पी.के. शास्त्री
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,

जयपुर।

दिनांक : 15 मार्च, 2013